फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

रतनाराम बनाम सरपंच ग्रा.पं.बायतु भीमजी वगैरा

किस्म मुकदमा धारा 81 अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 नं 224/21 सन 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
27/07/2021	प्रार्थी की ओर से वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी द्वारा यह प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को न्यायहित में सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि मौजा बनिया धोरा पटवार मण्डल बायतु भीमजी तहसील बायतु में आई हुई है। प्रार्थी वकील के कथनानुसार प्रार्थी के कब्जे काश्त व हक हिस्से की भूमि में विप्रार्थीगण दखलअन्दाजी करने व उसे खुर्द–बुर्द करने व बेचान करने पर आमदा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 30/08/2021 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा बनिया धोरा पटवार मण्डल बायतु भीमजी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 147, 148 व 149 रकबा कमशः 0.0162, 18.6151 व 16.3580 हेक्टेयर की भूमि में प्रार्थी के कब्जे काश्त व हक हिस्से की भूमि में दखलअन्दाजी, हस्तक्षेप, बाधा कारित नहीं करें तथा न ही बेचान करें। वर्तमान रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इसी माफिक विप्रार्थीगण पाबन्द रहे। विप्रार्थीगण को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 30/08/2021 को पेश हों। सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 17:13:14 IST
Reason: SelfAttested

31/08/2021 अवकाश होने से पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील फरद तामील मिसल। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्य में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक 14/09/2021 को पेश हो।

14/09/21 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील फरद तामील मिसल। विपक्षी संख्या-1 सरपंच ग्राम पंचायत बापडु भीमजी स्वयं उपस्थित। विपक्षी संख्या-2 की ओर से मूल फाईल में वकील श्री नरपत पूनड़ द्वारा वकालतनामा व विपक्षी संख्या-3 व 4 की ओर से वकील श्री किशनाराम द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अतः वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक 08/10/2021 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बापडु

08/10/21 पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान. 2021 कैम्प ग्राम पंचायत बापडु भीमजी में रखी गई। विपक्षी वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया, फाईनल पेश करना चाहते है। अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 12/11/2021 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बापडु

12/11/21 वकलाय हड़ताल [illegible] मूल फाईल के साथ पत्रावली दिनांक [illegible] को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 17:13:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) बा

हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/11/2021	पत्रावली आज प्रशासन गाँवों के संग अभियान- 2021 कैम्प ग्राम पंचायत गोमलिया में रखी गई। पक्षकारान करीडेन उपस्थित। मूल मिसल के साथ पत्रावली दिनांक- 06/12/21 को पेश हो।	
06/12/21	पक्षकारान करीडेन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी प्रशासन गाँवों के संग अभियान- 2021 कैम्पों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 06/01/2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
06/01/2022	पक्षकारान करीडेन उपस्थित। विपक्षी संख्या- 2 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया, जवाब पेश करना चाहते हैं। न्यायहित में एक और अवसर दिया जाकर, पत्रावली दिनांक 10/01/2022 को पेश हो। तब तक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
10/01/2022	पक्षकारान करीडेन उपस्थित। विपक्षी संख्या- 2 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया, एक और अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक [illegible] को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 17:13:14 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	रा॰ अपी॰ सं॰ - 224/21 अनवान - रतनाराम v/s संरपच ग्राम पं॰ बा॰ भोजनी
13/01/2022	वकुलाय फरीकैन उपस्थित / निगरानी संख्या - 2 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई, मूल पत्रावली में आदेश हो चुका है इसलिए उक्त स्थगन आवेदन का कोई औचित्य नहीं रहता है अतः उक्त स्थगन आवेदन की पत्रावली को इसी स्टेज पर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से उम्र हो, दाखिल दफ्तर हो। [illegible] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

सेवा में,

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 17:13:14 IST
Reason: SelfAttested